

मुकदमों का विवरण

अम्बालाल परिहार बनाम.

राजस्थान और ओआरएस का राज्य। (2023 की आपराधिक अपील संख्या 3233) अक्टूबर 16, 2023

[अभय **S.OKA** और पंकज मिठुल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:सिविल रिट याचिका में पारित विवादित आदेश, दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के नेतृत्व में उनके खिलाफ आठ प्राथमिकियों को जोड़ने के लिए, जिसमें निर्देश दिया गया था कि उक्त प्राथमिकियों के संबंध में उपरोक्त उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि न्यायसंगत ठहराया जाता है।

न्याय प्रशासन-कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग-फोरम हंट-अपीलार्थी के कहने पर दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के खिलाफ छह प्राथमिकियां दर्ज की गईं-कुछ अन्य पहले मुखबिरों द्वारा उनके खिलाफ दो अन्य प्राथमिकियां भी दर्ज की गईं, उत्तरदाताओं ने इसे रद्द करने की मांग की, हालांकि, कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई-फिर उपरोक्त उत्तरदाताओं द्वारा आठ प्राथमिकियों को जोड़ने के लिए सिविल पक्ष की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई-एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सभी आठ प्राथमिकियों के संबंध में उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए-अपीलार्थी ने उत्तरदाताओं द्वारा कथित रूप से फोरम हंट करते हुए कहा कि आठ प्राथमिकियों को समेकित करने के लिए सिविल रिट याचिका को रोस्टर न्यायाधीश से बचने के लिए प्रेरित किया गया था जिन्होंने अंतरिम राहत नहीं दी थी:

आयोजित किया गया:प्रत्यर्थियों द्वारा फ्रिंग सिविल रिट याचिका की कार्रवाई कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग था और यह फोरम हंट का एक उत्कृष्ट मामला था-यह आश्चर्य की बात है कि एफ. आई. आर. को जोड़ने के लिए एक सिविल रिट याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है-मुख्य न्यायाधीश द्वारा संपादित रोस्टर अधिसूचना में, आपराधिक रिट याचिकाओं के लिए एक अलग रोस्टर है-यदि अदालतें इस तरह की तीखी प्रथाओं की अनुमति देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रकाशित रोस्टर अधिसूचना का कोई अर्थ नहीं होगा-न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना होगा और किसी भी मामले को तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट रूप से सौंपा न जाए-एक न्यायाधीश एक मामले को उठा सकता है बशर्ते उस श्रेणी के मामलों को अधिसूचना रोस्टर संपादित के अनुसार उसे सौंपा गया हो या विशेष मामला निर्दिष्ट हो।

न्याय-मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गए मामले को लेना घोर अनुचितता का कार्य है- हालांकि एक सिविल रिट याचिका का नेतृत्व किया गया था, न्यायाधीश को इसे एक आपराधिक रिट याचिका में परिवर्तित करना चाहिए था जिसे केवल आपराधिक रिट याचिकाओं को लेने वाले रोस्टर न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता था-सिविल रिट याचिका खारिज-इसलिए, विवादित आदेश नहीं रहता है-प्रत्यर्थियों पर लगाए गए Rs.50,000/- की लागत-प्रत्यर्थियों के आचरण को संबंधित न्यायालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए जो याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। 482, एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए उनके नेतृत्व में सी. आर. पी. सी.-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482।[पैरा 7,8 और 10]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3233।

2023 के एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6277 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 08.05.2023 से।

रूप:

प्रणब प्रकाश, यश चतुर्वेदी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

आशुतोष शेखर पारचा, सुश्री नेहा कपूर, मिलिंद कुमार, सन्यत लोढ़ा, सुश्री संजना सादी, सुश्री सुरभी अरोड़ा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अभय **S.OKA**, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना।

3. यह दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं द्वारा कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का एक चौंकाने वाला मामला है।अपीलार्थी के कहने पर, दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के खिलाफ छह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गईं।कुछ अन्य प्रथम मुखबिरो द्वारा उन्हीं उत्तरदाताओं के खिलाफ दो अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थीं।प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के नेतृत्व में दो आपराधिक विविध याचिकाएं दायर की गईं।

अम्बाल परिहार बनाम राजस्थान राज्य और ओ. आर. एस. [अभय S.OKA, जे.] 216

4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सीआरपीसी") की धारा 482 के तहत दो याचिकाओं पर दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के नेतृत्व में पारित आदेशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता

है। ये याचिकाएं अप्रैल, 2023 में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आईं, जिसमें कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी।

5. इसके बाद, दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं ने एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया। 5 मई, 2023 को दूसरे और चौथे उत्तरदाताओं द्वारा सिविल पक्ष में एक रिट याचिका का नेतृत्व किया गया था जिसमें आठ प्रथम सूचना रिपोर्टों को एक साथ जोड़ने और उन्हें एक में समेकित करने के लिए अनिवार्य रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी। यह विवादित आदेश उक्त सिविल रिट याचिका में 8 मई, 2023 को पारित किया गया है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सभी आठ प्रथम सूचना रिपोर्टों के संबंध में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। 6. अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तत्कालीन प्रचलित रोस्टर अधिसूचना पर भरोसा करके बहुत गंभीर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 से निपटने वाले आपराधिक मामलों का कार्यभार संभालने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने दो मामलों में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं को अंतरिम राहत नहीं दी, इसलिए सिविल रिट याचिका दायर करने की इस विधि का आविष्कार किया गया था जिसमें आठ प्रथम सूचना रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रार्थना की गई थी। आरोप है कि यह रोस्टर जज से बचने के लिए किया गया था, जिन्होंने अंतरिम राहत नहीं दी थी। न केवल यह कि इस पाठ्यक्रम को अपनाया गया था, सिविल रिट याचिका में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं ने अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया कि सभी आठ प्रथम सूचना रिपोर्टों के संबंध में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ताओं को सिविल रिट याचिकाओं में शामिल नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में, एक ही वकील ने दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया।

7. यह दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं द्वारा फोरम शिकार का एक उत्कृष्ट मामला है। यह स्पष्ट करता है कि सिविल रिट याचिका में 8 मई, 2023 को दी गई उपरोक्त राहत के बावजूद, 1 जून, 2023 को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाओं में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं ने संबंधित पीठ को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की राहत देने के लिए राजी किया।

8. इस प्रकार, यह कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का मामला है। हम आश्चर्य करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक साथ रखने के लिए एक सिविल रिट याचिका कैसे हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

मनोरंजन किया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा संपादित रोस्टर अधिसूचना में आपराधिक रिट याचिकाओं के लिए एक अलग रोस्टर है। यदि न्यायालय इस तरह की तीखी प्रथाओं की अनुमति देते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा संपादित रोस्टर अधिसूचना का कोई अर्थ नहीं होगा। न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना होता है और उन्हें किसी भी मामले को तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। एक न्यायाधीश एक

मामला ले सकता है बशर्ते कि या तो उस श्रेणी के मामले उसे अधिसूचना के अनुसार सौंपे गए हों या विशेष मामला मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट रूप से सौंपा गया हो। मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गए मामले को लेना घोर अनुचितता का कार्य है। यद्यपि एक सिविल रिट याचिका का नेतृत्व किया गया था, विद्वान न्यायाधीश को एक आपराधिक रिट याचिका में परिवर्तित किया जाना चाहिए था जिसे केवल आपराधिक रिट याचिकाओं को लेने वाले रोस्टर न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता था।⁹ हमें यकीन है कि दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के इस आचरण पर संबंधित न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।

10. यह एक ऐसा मामला है जिसमें दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं को लागत का बोझ उठाना पड़ता है। हम लागत राशि को Rs.50,000/- (पचास हजार रुपये) पर निर्धारित करते हैं।

11. इसलिए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करके अपील की अनुमति देते हैं: (क) हम मानते हैं कि दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं द्वारा 2023 की एस. बी. सिविल रिट याचिका No.6277 की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी और यह मंच शिकार का एक उत्कृष्ट मामला था;

(ख) तदनुसार, हम 2023 की एस. बी. सिविल रिट याचिका No.6277 को खारिज करते हैं। इसलिए, आक्षेपित क्रम जीवित नहीं रहता है;

(ग) हम दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं को आज से एक महीने की अवधि के भीतर राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को 1,000 रुपये (पचास हजार रुपये) की लागत का भुगतान करने और आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष रसीद पेश करने का निर्देश देते हैं।

(घ) जैसा कि पहले बताया गया है, दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के आचरण को संबंधित न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा जो दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के नेतृत्व में धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है; और 217

अम्बाल परिहार बनाम राजस्थान राज्य और ओ. आर. एस. [अभय S.O.K.A, जे।]

(ङ) हम राजस्थान उच्च न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) को प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के नेतृत्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत सभी आठ याचिकाओं में इस आदेश की एक प्रति रखने का निर्देश देते हैं।

12. उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे